

मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्राविधानों का उल्लंघन करने पर व्यक्तिगत बन्ध-पत्र

उ०प्र० पुलिस / यातायात पुलिस

बुक क्रमांक 1412

रसीद क्रमांक 70570
HR-SSAD कारदेही
0310

वाहन का रजिस्ट्रेशन नं०

वाहन स्वामी का नाम

पता

उल्लंघन करने का स्थान

दिनांक 20-1-19

समय 12-20

वाहन की किस्म

परमिट नं०

परमिट की वैधता

ड्राइविंग लाइसेन्स नं०

वैधता

(अभियोग चलाने अथवा साक्ष्य देने बन्ध-पत्र)

चालक लक्ष्मण पुत्र दिलीप सिंह पता 211 एफ 2 मिन्ड (2105)
थाना लक्ष्मणपुर जिला मिन्ड (2105) निवासी है। इस लेख द्वारा
वचन देता/देती हूँ कि आगामी दिनांक 07/2/19 समय 10 बजे प्रातः को SPT मही के
न्यायालय में उपस्थित होकर वहाँ अपने उपर लगाये हुए मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत विचाराधीन अभियोग
के सम्बन्ध में उत्तर देने के लिए उपस्थित रहूँगा / रहूँगी और उपस्थित न होने पर न्यायालय द्वारा निर्धारित
दण्ड/जुर्माने के लिए उत्तरदायी हूँगा/हूँगी।

वाहन चालक द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 के वर्णित प्राविधानों/धाराओं का उल्लंघन किये जाने का विवरण निम्नवत है।

क्र०	अपराध का विवरण	धारा
1	मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्राविधानों के निषेधों का उल्लंघन	179(1)
2	विना R/C	39/192

चालानकर्ता अधिकारी द्वारा बन्ध-पत्र के साथ प्राप्त किये गये कागजात का विवरण

- (1) रजिस्ट्रेशन
- (2) डी0एल0
- (3) बीमा
- (4) परमिट
- (5) कोई नहीं

चालानकर्ता के हस्ताक्षर

पदनाम

बन्ध-पत्र/विवरण की प्रति प्राप्त की

हस्ताक्षर चालक